निविदा आमंत्रण सूचना

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि जिला न्यायालय, जबलपुर में कैण्टीन एवं जूस सेन्टर के संचालन हेतु इच्छुक संस्थाओं, व्यक्तियों एवं कम्पनियों से निविदा प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते हैं। निविदा की शर्तों संबंधी निविदा प्रलेख उच्च न्यायालय म.प्र.जबलपुर के वेबसाइड www.mphc.in & www.mphighcourt.nic.in पर उपलब्ध हैं। इच्छुक संस्थायें/व्यक्तियों/कम्पनियां अपना आवेदन निविदा शर्तों के संबंध में सहमति दर्शाते हुये दिनांक 23.08.2016 को सांयकाल 5:00 बजे तक आवेदक या उनके अधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जायेंगी। निविदा प्रलेख कार्यालय जिला रजिस्ट्रार, जिला न्यायालय, जबलपुर में दिनांक 23.08.2016 तक कार्यालयीन समय पर उपलब्ध रहेगा।

वास्ते—जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जबलपुर(म0प्र0)

कार्यालय–जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जबलपुर (म0प्र0)

जिला न्यायालय परिसर, जबलपुर में केण्टीन/जूस सेन्टर संचालन हेतु निविदा फार्म एवं शर्तें

प्रथम पक्ष	निविदाकर्ता का नाम पता मोबाईल नंबर
द्वितीय पक्ष	जिला रजिस्ट्रार, कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जबलपुर

––000––

जिला न्यायालय परिसर में निविदा प्रारंभ दिनांक से एक वर्ष तक की कालावधि के लिये केन्टीन एवं जूस सेन्टर के संचालन हेतु इच्छुक आवेदकों से निविदायें आमंत्रित की जाती हैं। निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 23.08.2016 को शाम 5:00 तक निर्धारित की गई है। केन्टीन एवं जूस सेन्टर के संचालन करने संबंधी विस्तृत विवरण एवं शर्तें निम्नानुसार हैं :–

:: विवरण एवं शर्तें ::

01. केन्टीन एवं जूस सेन्टर के संचालन के ठेके के लिये न्यूनतम निविदा राशि कार्यालय कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ./स.) संभाग–1, जबलपुर से प्राप्त पत्र क्रमांक 1971 दिनांक 07.06.2016 में निर्धारित किया गया किराया प्रतिमाह पूर्णांक में प्राप्त किया जावे एवं निविदा प्रारम्भ दिनांक से एक वर्ष तक की अवधि के लिये रहेगी।

02. स्वीकृत निविदाओं में एक माह की सुरक्षा निधि के रूप में जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जबलपुर के नाम से निविदा अवधि या किन्हीं कारणवश बढ़ाई गई अवधि तक बैंक गारंटी के रूप में जमा रहेगी।

03. अनुबंध पर प्राप्त की गई केन्टीन एवं जूस सेन्टर के व्यक्ति द्वारा अनुबंध की शर्तों के अनुसार नियत तिथि के अंदर किराया राशि कोषालय में जमा नहीं की जाती है तो उस पर 12 प्रतिशत ब्याज की दर से राशि अदा करनी होगी, एक माह तक मय ब्याज के राशि जमा न करने पर उसका लायसेंस निरस्त करने का अधिकार जिला एवं सत्र न्यायाधीश को रहेगा।

04. केन्टीन एवं जूस सेन्टर का मासिक किराया न्यूनतम निम्नानुसार निर्धारित होगा :–

01. हवालात के बाजू में स्थित केंटीन एरिया 385.04 वर्गफुट किराया प्रतिमाह 12000/–

02. हवालात के बाजू में स्थित जूस सेंटर एरिया 96 वर्गफुट किराया प्रतिमाह 3000/–

03. हवालात के बाजू में स्थित फोटोकॉपी एरिया 93.04 वर्गफुट किराया प्रतिमाह 2900/–

04. महिला अधिवक्ता संघ के पास केंटीन एरिया 529.39 वर्गफुट किराया प्रतिमाह 16500/–

05. केन्टीन एवं जूस सेन्टर के किसी भी भाग को रहने तथा अन्य किसी कार्य के लिये उपयोग में नहीं लाया जायेगा।

06. केन्टीन एवं जूस सेन्टर में बिकी किये गये सामान का मूल्य ठेकेदार के बैठने वाले स्थान पर लगाया जाना आवश्यक है एवं निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य प्राप्त न किया जाए।

07. जिला न्यायालय के अवकाश दिवस के दिनों को छोड़कर प्रतिदिन सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक के लिये या अन्य ऐसे समय तक जो माननीय जिला न्यायाधीश महोदय द्वारा निर्धारित किया जावेगा संस्थान खुला रहेगा।

08. ठेकेदार द्वारा किसी भी शर्त को भंग करने पर व पालन न करने पर माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जबलपुर द्वारा 15 दिन का लिखित नोटिस देकर ठेका रद्द कर सकेंगे। इस प्रकार रद्द की गई अनुज्ञप्ति के फलस्वरूप ठेकेदार को जिला न्यायाधीश जबलपुर से किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार नहीं होगा।

09. ठेकेदार अथवा उससे संबंधित किसी भी विषय पर कोई विवाद यदि उत्पन्न होता है तो माननीय जिला न्यायाधीश द्वारा उनके द्वारा नामांकित किसी अन्य न्यायाधीश को विवाद के निर्णय हेतु सौंपा जावेगा और ऐसा निर्णय अंतिम रहेगा, जो उभयपक्षों पर बंधनकारी होगा।

10. केन्टीन/फोटोकापी/जूस सेंटर के संचालक विद्युत कनेक्शन स्वयं लेंगे तथा विद्युत प्रभार स्वयं वहन करेंगे।

11. शर्त कमांक–6 में संचालित की जाने वाली प्रतिष्ठानों में बिकी किए गए सामानों का मूल्य का निर्धारण प्रशासनिक समिति निविदाधारक के विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लेते हुये किया जायेगा।

12. केन्टीन/फोटोकापी/जूस सेंटर संचालक आस–पास के स्थान को साफ सुथरा रखने का उत्तरदायित्व निविदाधारक का रहेगा।

जिला रजिस्ट्रार,
जिला न्यायालय जबलपुर
(द्वितीय पक्ष)